

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प. 4(7)नविवि/II/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक 11 OCT 2019

::आदेश::

श्री पी० के० जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, नगर विकास न्यास अलवर को नगर विकास न्यास अलवर, भरतपुर तथा नगर परिषद भिवाडी के लिए मुख्य अभियन्ता को प्रदत्त शक्तियां अग्रिम आदेशों तक प्रत्यायोजित की जाती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से


(त्रिभुवनपति)

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज०, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर, राज०।
3. शासन संयुक्त सचिव-प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज०, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर एवं भरतपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री पी० के० जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, नगरीय विकास विभाग, जोन अलवर।
8. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, भिवाडी।
9. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव-द्वितीय